अनवान सोनादेवी व अन्य बनाम प्रीतमसिंह व अन्य
वाद पत्र संख्या 122/2018

23.04.2025 पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी द्वारा पत्रावली मे बहस प्रार्थना पत्र अर्न्तगत आदेश 01 नियम 10(2) सपठित धारा 151 सीपीसी समाहित की जा चुकी है। प्रार्थना पत्र के तथ्यानुसार दावा में वादी संख्या 04 नीतु एवं वादी संख्या 05 पुष्पा ने अपने से वाद पत्र में वर्णित कृषि भूमि को जरिये दस्तबरदारी दिनांक 09.03.2021 को वादी संख्या 2 व 3 के हक में बहिस्सा बराबर छोड़ दिया है इसी प्रकार वादी संख्या 08 विद्या देवी, वादी संख्या 09 हंसराज, वादी संख्या 10 बंसीलाल वादी संख्या 11 विनोद ने रजिस्टर्ड बैयनामा दिनांक 20.06.2024 से वादी संख्या 12/5 को बैय कर दिया है वादी संख्या 02 रणजीत कुमार व वादी संख्या 03 राजवीर ने अपने हिस्सा की कृषि भूमि में से 0.0845 हैक्टे0 रकबा नहरी प्रत्येक के हिस्सा से बहिस्सा बराबर–बराबर बेचान वादी संख्या 12/5 को जरिये रजिस्टर्ड बैयनामा दिनांक 05.07. 2024 को कर दिया है। अतः दावा में वादी संख्या 4, 5, 8 ता 11का नाम हटाया जावे। पत्रावली का अवलोकन किया। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तबरदारी दिनांक 09.03.2021, बैयनामा दिनांक 20.06.2024 एवं बैयनामा दिनांक 05.07.2024 का परिपेक्ष्य में प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र आदेश 01 नियम 10(2) सीपीसी स्वीकार किया जाता है एवं वादी संख्या 4, 5 8 ता 11 के नाम के आगे लाल स्याही से विलोपित लिखा जाता है, पत्रावली वास्ते संशोधित वादपत्र हेतु दिनांक 07.05.2025 को पेश हो।

Signature Not Verified

Digitally signed by Swati Gupta
Date: 2025.10.15 11:16:00 IST
Reason: SelfAttested